


उत्तराखण्ड शासन  
परिवहन अनुभाग-1  
संख्या- 139 / ix-1 / 323 / 06 / 2013  
देहरादून: दिनांक 06 फरवरी, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013

- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1 | (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013 है।<br>(2) यह दिनांक 01 दिसम्बर, 2012 से प्रवृत्त होगी। |
| नियम 22 का संशोधन         | 2 | उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम 22 में शब्द "दो सौ रूपये" शब्द "पाँच सौ रूपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ रूपये" रख दिया जाएगा।     |

आज्ञा से,  
  
(नितेश कुमार झा)  
अपर सचिव